अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

शिवलाल आदि बनाम **घीसा आदि**

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

दावा मुकदमा नं. 74/2013 **निर्णय दिनांक– 14.05.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादीगण का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त सहमति विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 478 रकबा 0.59 हैक्टेयर जिसके नया खसरा सं. 620 रकबा 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म
1. घीसा पुत्र बालू जाति नायक राहिन आर.जी.बी. शाखा मंगलूणा मूर्तहीन	620 मीन	0.2950 हैक्टेयर	बारानी 1
2. शिवलाल पन्नालाल नन्दलाल पि. मालाराम गीता मैनाक पुत्रियां मालाराम हि. 5/6 हि.ब. नरेश गोपाल जीतू पि. खांगाराम बिमला पुत्री खांगाराम बालीदेवी पत्नी खांगाराम हि. 1/6 हि.ब. जाति मेघवंशी सा.देह	620 मीन	0.2950 हैक्टेयर	बारानी 1

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त सहमति विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार सहमति विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2018 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

दावा सं. 74/2013 उनवान शिवलाल आदि बनाम घीसा आदि

14.05.2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प मंगलूणा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण दावा साधारण विभाजन का है जिसमें कैम्प स्थल पर ही तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा सहमति विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साथ ही प्रकरण में वादीगण सं. 1, 3 ता 5 व 8 स्वयं उपस्थित। वादीगण सं. 6 ता 10 कि ओर से भी वादीगण सं. 8 जीतू उर्फ अजीतसिंह उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित। उपस्थित उभयपक्ष ने उपस्थित होकर मुताबिक तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उक्त सहमति विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/94 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व सहमति के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 478 रकबा 0.59 हैक्टेयर जिसके नया खसरा सं. 620 रकबा 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–	

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. घीसा पुत्र बालू जाति नायक राहिन आर.जी.बी. शाखा मंगलूणा मूर्तहीन	620 मीन	0.2950 हैक्टेयर
2. शिवलाल पन्नालाल नन्दलाल पि. मालाराम गीता मैनाक पुत्रियां मालाराम हि. 5/6 हि.ब. नरेश गोपाल जीतू पि. खांगाराम बिमला पुत्री खांगाराम बालीदेवी पत्नी खांगाराम हि. 1/6 हि.ब. जाति मेघवंशी सा.देह	620 मीन	0.2950 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त सहमति विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार सहमति विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official